संख्या-79/2026/07 के-2/22-3-2025-17(41)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारगार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-555/प्रो0अनु0(2)-283/2024(बैठक दिनांक 31.12.2024) दिनांक-03.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारगार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार शर्मा (बंदी सं0-12364) पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, जो-ग्राम मौहम्मदपुर, थाना-जहाँगीरपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 09.08.1994 को पीड़िता उम्र करीब 12 वर्ष पड़ोसी के हैण्डपम्प से पानी लेने गयी तथा वहां से वापस नहीं लौटी। काफी खोज करने पर भी नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान पता चला कि विनय कुमार ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-237/1995 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 09.11.2006 द्वारा आजीवन कारावावस से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 22.07.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.12.2024 तक 18 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 56 वर्ष, 09 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्व करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 09.08.1994 को पीड़िता उम्र करीब 12 वर्ष पड़ोसी के हैण्डपम्प से पानी लेने गयी तथा वहां से वापस नहीं लौटी। काफी खोज करने पर भी नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान पता चला कि विनय कुमार ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्वदोष बंदी विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारगार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार शर्मा (बंदी सं0-12364) पुत्र श्री बद्रीप्रसाद, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in